दिनांक .....तक बढ़ा दी गई है
Validity of the Registration Certificate extended upto 13.04.2002

Validity of the Registration Certificate extended upto 13/04/1999

9/3/91
उत्प्रवासी महानिरक्षक
Protector General of Emigrants

DUPLICAT

24/4/96
उत्प्रवासी महासंरक्षक
Protector General of Emigrants

प्रमाण-पत्र सं०
CERTIFICATE
No. Protector General of Emigrants
000123

प्ररूप-5
FORM-V

-Modified No.
)123/BOM/PART/1000+/3/1001/84.
Thousand plus workers.

भारत सरकार
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम विभाग)
Government of India
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour)

मीना गुप्ता
MEENA GUPTA
Joint Secretary
संयुक्त सचिव

13th April 1996

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE
[नियम 10 (2) देखिए]
[See rule 10 (2)]

विदेशी नियोजकों के साथ भारतीय कर्मकारों के नियोजन के लिए भर्ती का कारबार प्रारम्भ करने या चलाने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अधीन प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए मैं/विदेश में कार्यरत के संबंध में मैं०.....को उक्त प्रमाण-पत्र दिया जाता है जो इस प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :—

With reference to the application dated 27.1.84 for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983, to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s. AL-SAMIT INTERNA BOMBAY.....is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, subject to the following terms and conditions, namely :—

(i) यह कि कारबार का संचालन.....किया जाएगा ; 17, Bhagoji Keer Marg, Mahim, Bombay-
(i) that the business shall be conducted at K-K Mansion, 3rd floor, 289/91, Nagdevi Street, B

गोपाल भट्टाचार्य
G. K. Bhattacharya
संयुक्त सचिव
Joint Secretary
श्रम मंत्रालय
Ministry of Labour
नई दिल्ली/New Delhi

(ii) यह कि प्रमाण-पत्र.....वर्ष की कालावधि के लिए या.....कर्मकारों की भर्ती पूरी हो जाने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, वैध है। विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व विनिर्दिष्ट संख्या में भर्ती पूरी हो जाने की दशा में प्रमाण-पत्र धारक को वास्तविक मांग का साक्ष्य पेश किए जाने पर और नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति देने पर प्रमाण-पत्र की समाप्ति तक भर्ती चालू रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है ;

(ii) that this certificate is valid for a period of 3 years or till the completion of the recruitment of Thousand plus workers, whichever is earlier. In the event of the recruitment of the specified number getting completed before the specified period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub-rule (2) of rule 8 ;

(iii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक कारबार का संचालन अपने हस्ताक्षर और निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी की मोहर से करेगा तथा प्रमाण-पत्र अंतरणीय नहीं होगा ;

(iii) that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the XXXXXX/partners/XXXXXX and the certificate shall not be transferable ;

(iv) यह कि यह प्रमाण-पत्र कारबार परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सहजदृश्य रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा और उत्प्रवास प्राधिकारियों, विधि-प्रवर्तन प्राधिकारियों और नियोजकों को मांग की जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा ;

(iv) that this registration certificate shall be prominently displayed at conspicuous place in the premises of business and shall be produced on demand by the emigration authorities, law enforcement authorities and employers ;

(v) यह कि प्रमाण-पत्र धारक सामान्यतः अपने कारबार का संचालन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में उपदर्शित स्थान से करेगा। आवेदन में उपदर्शित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई भर्ती केन्द्र खोलने के लिए प्रमाण पत्र धारक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ;

04 JUL 2002
कौंसली अधिकारी
N IN THE CONSULATE GENERAL OF INDIA

(v) that the holder of the certificate shall normally conduct the business from the place indicated in the application for registration. For opening a Recruitment centre at a place other than the place indicated in the application, the holder of the certificate has to obtain the prior approval of the Registering Authority ;

he Ministry of External Affairs
accepts no responsibility for
contents of the above

(vi) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अपने कारबार के संचालन या संव्यवहार के प्रयोजन के लिए उप अभिकर्ता को नियोजित नहीं करेगा ;

(vi) that the holder of the certificate shall not employ sub-agents for the purpose of conducting or carrying on his business ;

(vii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक उत्प्रवासियों से विहित फीस से अधिक प्रभारित नहीं करेगा और विहित मानक मजदूरियों का भी पालन करेगा ;

(vii) that the holder of the certificate shall not charge more than the prescribed fee from the emigrants and also adhere to prescribed standard wages ;

A. R. GHOSH
Section Officer (Cons)
Consular Div.
Ministry of External Affairs

मीना गुप्ता
MEENA GUPTA
संयुक्त सचिव
Joint Secretary

11th MAY 1991

14th JUNE 1990

Specimen Copy

Validity of the Registration Certificate extended upto 13-4-2008

Protector General of Emi...

03.03.15.

(viii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अपने कारबार के [illegible] स्थायी अभिलेख बनाये रखेगा :—

(viii) that the holder of the certificate shall maintain the following permanent records at his place of business ;

(क) मूल निस्तारण पूंजी के प्ररूप में जिसमें भर्ती किए जाने वाले उत्प्रवासियों से प्रभारों की प्राप्ति का एक रजिस्टर जिस में ऐसे प्रत्येक उत्प्रवासी के हस्ताक्षर होंगे जिससे प्रभार वसूल किया गया है ऐसा प्रत्येक रजिस्टर भर्ती के लिये की गई मांग के प्रति निर्देश से होगा।

(a) a Register of receipt of charges from emigrants recruited, in the form of an original acquittance Roll containing the signature of each emigrant from whom the charge has been received. Each such Register shall be with reference to a demand for recruitment.

(ख) नियोजकों से उनकी फोटोस्टेट प्रतियों सहित अभिप्राप्त रकम और पूर्व संदत्त टिकट सलाह के रजिस्टर और अभिलेख मांगवार रखे जायेंगे।

(b) a Register and record of the amounts and Pre-paid Ticket Advices, alongwith their photo copies received from the employers, identified demand-wise.

(ग) दस्तावेजों द्वारा समर्थित मांगवार उत्प्रवासियों की भर्ती की बाबत उपगत व्ययों का विवरण देने वाला रजिस्टर।

(c) a Register containing details of expenses incurred on the recruitment of emigrants demand-wise supported by documents.

(घ) ऐसे प्रत्येक नियोजक के लिए जिसकी श्रम की मांग के बारे में प्रमाण-पत्र धारक ने कार्यवाही की है, कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है या कार्यवाही कर रहा है, व्यष्टिक फोल्डर।

(d) individual folders for each employer whose demands of labour, the holder of the certificate has processed, proposed to process or is processing.

(ङ) प्रमाण-पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक उत्प्रवासी के जीवनवृत्त जिन में पूर्ण विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत उनके निकट संबंधी का नाम, पता, आयु, कौशल, अनुभव और नाम और पता भी है, दी जाएगी।

(e) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and name and address of next of kin) of each emigrant recruited by the holder of the certificate.

नवीकरण प्रमाण पत्र की वैधता तिथि ..... बढ़ा दी गई है

Validity of the Registration Cert... extended upto 13-4-200...

Protector General of Emigrants

(च) उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा यथा अधिप्रमाणित प्रत्येक उत्प्रवासी के नियोजन संविदाओं की प्रतियां।

(f) copies of employment contracts of each emigrant as authenticated by the Protector of Emigrants.

(छ) मूल मांग, मुख्तारनामा और नियोजकों के साथ पत्र-व्यवहार।

(g) original demand, power of attorneys and correspondences with the employers.

(ज) उत्प्रवासियों की भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेजें जिनके अन्तर्गत जारी किए गए सभी विज्ञापनों, साक्षात्कार पत्रों और अभिवेदकों के साथ पत्र व्यवहारों, मूल, अधिनिर्णय पत्रों जिसके कारण चयन हुआ है, की कार्यालय प्रतियां चयन प्रक्रिया में अन्तर्वलित व्यक्तियों के नाम और पते, नियुक्ति पत्रों, व्यवसाय परीक्षण संबंधी विशिष्टियों की प्रतियां, भी हैं।

(h) all documents relating to recruitment of emigrants, including office copies of all advertisements issued, letters of interviews and correspondence with the applicants, original award sheets leading to the selection, names and addresses of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments, trade-testing particulars, etc.

(झ) नियोजकों से अभिप्राप्त वीजा का रजिस्टर जिस में सम्मिलित और व्यष्टिक वीजाओं का अलग लेखा-जोखा होगा।

(i) a Register of visas received from the employers, giving separate account of block and individual visas.

(ञ) प्रमाण-पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए उत्प्रवासियों या उनके आश्रितों द्वारा क्षति या मृत्यु के लिए प्रतिकर के दावों का एक रजिस्टर जिस में उत्प्रवासी का नाम, पता, उत्प्रवास संख्या, नियोजन देने वाले देश का पता, नाम, यथा स्थिति क्षति या मृत्यु की प्रक्रिया, दुर्घटना की तारीख, प्राप्तिकर्ता का नाम और पता, नियोजक का नाम और पता और प्रतिकर का संदाय किए जाने के प्रतीकारात्मक स्वरूप मूल रसीद लगाई जाएगी।

(j) a Register of claims for compensation for injury or death made by the emigrants or their dependents, recruited by the holder of the certificate giving the name, address of the emigrant, emigration number, country of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name and address of the recipient, name and address of the employer, and the receipt in original in token of having made the payment of compensation be pasted.

(ट) ऐसे अन्य अभिलेख जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित हों।

(k) such other records as may be required to be maintained by the registering authority.

(ठ) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अगले मास के दसवें दिन तक प्ररूप 4 में पूर्ववर्ती मास की विवरणी देगा।

(ix) that the holder of the certificate shall furnish return of the preceding month in Form IV by the 10th of the succeeding month.

(10) यह कि उत्प्रवासियों की भर्ती के [illegible] प्रमाण-पत्र धारक प्रोटेक्टर एमिग्रेन्ट्स संरक्षक की पास फाइल की जाएगी।

(x) that copies of advertisements [illegible] Protector of Emigrants, shall be filed in the office of the Protector of Emigrants; and

(xi) यह कि भर्ती अभिकर्ता उत्प्रवासी से [illegible] प्रभार नहीं लेगा।

(xi) that recruiting agent shall not charge the [illegible] from the emigrant.

12 JUN 2001

GENERAL DEPOSIT REGISTER (ONLY) Ministry of External Affairs

Accepts no responsibility for the contents of the above documents

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (विदेश मंत्रालय) मु-685

Jagdish Rai

(जगदीश राय)
(JAGDISH RAI)
निदेशक (कोंस)
Director (Cons)
Ministry of External Affairs
New Delhi

13/4/93

तारीख और स्थान
Date and Place 5th May, 1984.

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और मोहर
Signature, name and seal of the Registering Authority

GMGIPND—L—10 M OF LAB—2000.

Specimen Copy